प्रकरण संख्या 78/2019 2019/00022 तारीख रजु–20.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1. महाराजसिंह पुत्र चिरंजी } जाति गूजर निवासी नवलापुरा
2. हाकिमसिंह पुत्र भंवर } तहसील मासलपुर जिला करौली
3. शाखा प्रबंधक, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा करौली
4. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा मासलपुर – अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–11.09.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 108 रकबा 1–00 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 106 रकबा 1–00 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् तालाबी–1 दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2030–2033 तक के खाता सं 1 किस्म तालाबी–1 से श्री चिरंजी पुत्र सिरमोहर, हाकिम सिंह पुत्र भंवर जाति गूजर निवासी नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) के नाम जरिए नियमन से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में महाराज सिंह पुत्र चिरंजी निवासी नवलापुरा राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मासलपुर, हाकिमसिंह पुत्र भंवर निवासी नवलापुरा राहिन हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा करौली निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 108 रकबा 1–00 बीघा बाके ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) को वापस राजकीय भूमि तालाबी–1 दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, नामांतरकरण संख्या 338 दिनांक 01.11.1977, नामांतरकरण संख्या 44, नामांतरकरण संख्या 112 दिनांक 21.04.2014, नामांतरकरण संख्या 469 दिनांक 08.06.1986, जमाबन्दी सम्वत 2030 से 2033, 2068–71, 2072–75 की प्रति संलग्न की है।

कोई तालाब पेटे की जमीन नहीं है। इस जमीन पर हम पचासों साल से काबिज चले आ रहे हैं और काश्त कर रहे हैं और मौके पर काबिज हैं। उक्त जमीन को लेबिल कराने में हमने लाखों रुपया लगाया है। यह जमीन उवड खावड अवस्था में हम को सरकार द्वारा दी गई थी। मौके पर कोई भी तालाब नहीं है ना कोई पानी भरता है। ना ही सार्वजनिक रूप में उपयोग में आती है। गलत तरीके से किस्म तालाब लिखा गया है। उक्त जमीन का किस्म तालाब से कोई संबंध ताल्लुक नहीं रहा है ना अब है। काबिल काश्त जमीन है जिसमें खेती होती है। अंत में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी नं. 3 ने पत्रांक 14 दिनांक 27.03.2019 से अवगत कराया है कि अप्रार्थी नं. 2 पर बैंक का ऋण बकाया है एवं विवादित आराजी में से अप्रार्थी सं. 2 का हिस्सा बैंक के नाम रहन है। अतः बैंक के हितों की रक्षा करते हुए प्रकरण में कार्यवाही करने का श्रम करें।

अप्रार्थी सं. 4 ने जवाब प्रस्तत नहीं करके सीधा बहस करना चाहा।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 108 रकबा 1–00 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् तालाबी–1 दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2030–33 तक के खाता संख्या 1 किस्म तालाबी–1 से श्री चिरंजी पुत्र सिरमोहर, हाकिम सिंह पुत्र भंवर जाति गूजर निवासी नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) के नाम जरिए नियमन से दर्ज कर दिया गया। संवत् 2072–75 में यह भूमि महाराज सिंह पुत्र चिरंजी निवासी नवलापुरा राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मासलपुर, हाकिमसिंह पुत्र भंवर निवासी नवलापुरा राहिन हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा करौली निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थी नं. 1 ता 2 ने बहस में कथन किया है कि आराजी खसरा नं. 108 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा किस्म तलाबी बाके ग्राम नवलापुरा तहसील मासलपुर में स्थित होना बताया है जिसकी किस्म बिल्कुल गलत दर्ज की गई है। मौके पर कोई तालाब पेटे की जमीन नहीं है। इस जमीन पर हम पचासों साल से काबिज चले आ रहे हैं और काश्त कर रहे हैं और मौके पर काबिज हैं। उक्त जमीन को लेबिल कराने में हमने लाखों रुपया लगाया है। यह जमीन उवड खावड अवस्था में हम को सरकार द्वारा दी गई थी। मौके पर कोई भी तालाब नहीं है ना कोई पानी भरता है। ना ही सार्वजनिक रूप में उपयोग में आती है। गलत तरीके से किस्म तालाब लिखा गया है। उक्त जमीन

अप्रार्थी नं. 3 ने बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी नं. 2 का हिस्सा बैंक में रहन है एवं अप्रार्थी नं. 3 पर बैंक की ऋण राशि बकाया है। अतः बैंक के हितों की रक्षा करते हुए उचित निर्णय लिये जाने का श्रम करें।

वकील अप्रार्थी नं. 4 ने बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी नं. 1 का हिस्सा बैंक में रहन है एवं अप्रार्थी नं. 4 पर बैंक की ऋण राशि बकाया है। अतः बैंक के हितों की रक्षा करते हुए उचित निर्णय लिये जाने का श्रम करें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 108 रकबा 1–00 बीघा तालाबी–1 दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी संवत 2030–33 तक के खाता संख्या 1 किस्म तालाबी–1 से श्री चिरंजी पुत्र सिरमोहर, हाकिम सिंह पुत्र भंवर जाति गूजर निवासी नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) के नाम नामांतरकरण संख्या 338 दिनांक 01.11.1977 को स्वीकार किया गया है। नकल जमाबन्दी सं0 2072 लगायत 2075 के अनुसार खसरा नंबर 108 किस्म तालाबी–1 रकबा 1–00 बीघा महाराज सिंह पुत्र चिरंजी निवासी नवलापुरा राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मासलपुर, हाकिमसिंह पुत्र भंवर निवासी नवलापुरा राहिन हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा करौली निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में तालाबी–1 दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्‌भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) की आराजी खसरा नंबर 108 रकबा 1–00 बीघा को वापस राजकीय भूमि तालाबी–1 दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
करौली